

राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर

आई.टी.आई, सर्कल के पास, सरस डेयरी रोड़, हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (342003)

E-Mail: exam.dte.trg.raj@gmail.com, rcvet.exam.raj@gmail.com

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र-5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/79840 दिनांक: 22/11/2020

आचार्य/अधीक्षक

राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (परीक्षा केन्द्र),
समस्त।

विषय: NCVT परीक्षा नवम्बर 2020 परीक्षार्थी Hall Ticket के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि NCVT परीक्षा नवम्बर 2020 हेतु डीजीटी भारत सरकार द्वारा Center Mapping Activity को NCVT MIS Portal पर Open किया हुआ है। विभिन्न संस्थानों द्वारा परीक्षार्थियों के Hall Ticket Generation नहीं हो रहे हैं, के संबंध में अवगत कराया गया है। इस संबंध में डीजीटी वार्ता की गई है। डीजीटी से अवगत कराया गया है कि Hall Ticket Generation में आ रही कठिनाई का निराकरण किया जा रहा है। शीघ्र ही Hall Ticket Generate होने प्रारम्भ होंगे।

इस क्रम में परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को अवगत कराया जाता है कि इस परीक्षा हेतु संस्थानों के Self Center परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। Hall Ticket Generate नहीं हो पाने की स्थिति में संस्थान के रिकार्ड का अवलोकन करें तथा NCVT MIS Portal से Hall Ticket eligibility report (Regular & Supplementary) download कर Eligible 'Yes' & Generated 'Yes' प्रदर्शित हो उन्ही परीक्षार्थियों को एक valid ID Proof प्रस्तुत करने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दें।

जिन संस्थानों का परीक्षा केन्द्र अन्य राजकीय औ.प्र. संस्थान परीक्षा केन्द्र में रखा गया है ऐसे संस्थानों को अपनी संस्थान की NCVT MIS Portal से Hall Ticket eligibility report (Regular & Supplementary) download कर संबंधित परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को तत्काल उपलब्ध करावें।

किसी भी संशय की स्थिति में जिला संचालन समिति सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कर NCVT MIS Portal पर Eligible 'Yes' & Generated 'Yes' परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

भवदीय,



निदेशक, आरसीवीईटी

क्रमांक : प.स.9(5) प्र-5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/ 5TH

दिनांक: 22/11/2020

1. उपनिदेशक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त।
2. आचार्य/अधीक्षक, सदस्य सचिव, जिला परीक्षा संचालन समिति समस्त।
3. आचार्य/अधीक्षक, नोडल राजकीय औ.प्र. संस्थान समस्त।



उपनिदेशक, आरसीवीईटी